



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस आवेदन सं०-10/2023-24

सुरज टुडू वगैरह

बनाम्

मीरू टुडू

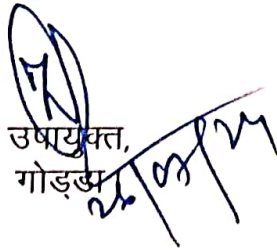
—: आदेश :—

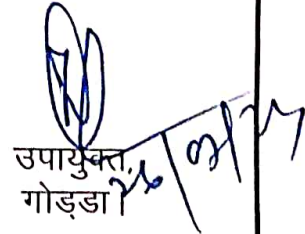
दिनांक 26/7/24

प्रविष्टि बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदक ने मौजा-जियाजोरी नं०-549, जमाबंदी सं०-46 के अंदर दाग नं०-106, 109, 184, 186, 189, 255, 256, 261, 163, 439, 454, 488, 696 रकवा क्रमशः— 00-00-13 धुर, 00-00-03 धुर, 00-00-04 धुर, 00-01-01 धुर, 00-00-10 धुर, 00-00-03 धुर, 00-00-07 धुर, 00-00-03 धुर, 00-00-10 धुर, 00-00-05 धुर, 00-00-15 धुर, 00-00-06 धुर, 00-00-15 धुर कुल रकवा 00-05-15 धुर जमीन अपने पुत्री को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20(i) के तहत दान देने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है। लेकिन संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के अन्तर्गत की धाराओं का शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी को प्रदत्त है एवं अधोहस्ताक्षरी का न्यायालय अपीलीय न्यायालय है। ऐसी स्थिति में आवेदक के आवेदन पर इस स्तर पर विचार करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः वर्तमान वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। आवेदक चाहे तो अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र दाखिल कर सकते हैं।
लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोड्डा


उपायुक्त,
गोड्डा